कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

पत्रांक 789

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची ।

सेवा में

प्राचार्य,
साउथ पॉईन्ट पब्लिक स्कूल, बूण्डू ।
युडैस कोड - **20141808940**

राँची, दिनांक 11/04/18

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महाशय,

आपके द्वारा दिनांक 06.02.2016 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रदत शपथ पत्र के आधार पर, साउथ पॉईन्ट पब्लिक स्कूल, बूण्डू को शैक्षणिक सत्र 2018–2019 से कक्षा I से VIII तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ । उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधिन होः–

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा ।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
4. उक्त कंडिका–3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के अपबंधों के तहत् प्रतिपूर्तित राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :–
   - I– प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा,
   - II– किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नही दिया जायेगा,
   - III– प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई भी बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नहीं कि जायेगी,
   - IV– प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा,
   - V– अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ।

VI— अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अर्हता, अधिनियम 2009 के लागू होने के समय नही है, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएँ अर्जित कर लेंगे,

VII— अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे,

VIII— अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे ।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा ।

10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई सुविधाएं निम्नानुसार है :—

I— विद्यालय परिसर का क्षेत्रफलः— 8134.18 वर्ग फिट

II— कुल निर्मित क्षेत्रः— 970.62 वर्ग फिट

III— क्रीड़ा—स्थल का क्षेत्रफलः— 6000 वर्ग फिट

IV— कक्षाओं की संख्याः— 16 (सोलह)

V— प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भांडागार के लिए कक्षः— 3

VI— बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयः— हाँ ।

VII— पेयजल सुविधाः— हाँ ।

VIII— बाधारहित पहुँचः— हाँ ।

IX— अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकुद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धताः— हाँ ।

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी ।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा ।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा ।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय—समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों की दूर करने के लिए जारी किए जाये ।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा । सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा ।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 011 है । कृप्या इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख किया जाये ।

11/4/2018

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची

जिला शिक्षा अधीक्षक
राँची